बजट पारदर्शिता

– नेसार अहमद

वर्ष 2011 में बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बॉर्क) ने सीबीजीए, नई दिल्ली के साथ मिलकर राजस्थान में राज्य बजट में पारदर्शिता पर अध्ययन किया। इसी प्रकार के प्रयास अन्य बजट समूहों द्वारा अन्य राज्यों में भी किये गये। इस अध्ययन से पता चला कि राज्य में बज़ट पारदर्शिता की स्थिति बड़ी निराशाजनक थी। इस अध्ययन में से पता चला कि राजस्थान निम्न बजट पारदर्शिता वाले राज्यों में से एक था।

हलांकि उसके बाद से इस संदर्भ में राज्य में कुछ उल्लेखनीय बदलाव आये हैं। उदाहरण के लिये सरकार ने वर्ष 2011–12 से कुछ पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को आवंटित धन राशियों के बारे में से उपलब्ध कराना आरम्भ कर दिया है। इसी प्रकार वर्ष 2012–13 से लैंगिक बजट विवरण (जेण्डर बजट स्टेटमेंट) आना भी आरम्भ हो गया है। साथ ही अब़ अधिक बढ़ी हुई संख्या में मुख्य शीर्षे के अंतर्गत जनजाति उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये निर्धारित लघु शीर्षो के आंकड़े मिलने लगे है।

नई भाजपा सरकार ने, इस दिशा में सुधार जारी रखते हुए, वर्ष 2014–15 के बज़ट से (जो कि जुलाई 2014 में प्रस्तुत किया गया था) दो और दस्तावेज उपलब्ध कराना आरम्भ किया है, जिन्हें ‘‘बजट सम्बन्धी विश्लेषणात्मक विवरण’’ (बजट रिलेटेड अनालिटिकल स्टेटमेंट) खण्ड 1 और खण्ड 2 कहते हैं। इन दो दस्तावेजों के माध्यम से सरकार के सभी प्रशासनिक विभागों को आवंटित बजट और उनके द्वारा खर्च की गई राशियों की जानकारी उपलब्ध कराना आरम्भ किया गया है जो कि नागरिक समाज संगठ्नों की बड़ी माँगों में से एक थी। साथ ही इन दस्तावेजों में प्रमुख विकास योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित की गई और व्यय की गई धनराशियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है जो कि पूर्व में राज्य के बजट में प्रमुख मदों को दर्शाते हुए बजट में एक जगह उपलब्ध नहीं हुआ करती थी।

कुछ कमियाँ अब भी जारी है

अभी भी बजट पारदर्शिता से जुड़े अनेक ऐसे मुद्दे है जिन पर भाजपा सरकार आगामी वर्षो में काम कर सकती है। राजस्थान भाजपा ने लागों के लिये बजट पारदर्शिता हेतु अपने चुनाव घोषणापत्र में वायदा किया था। इसलिये हमने यहां उनमें से कुछ मुद्दों की ओर संकेत किया है और अपने सुझाव नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं:–

बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर समयबद्ध सूचना/जानकारी उपलब्ध कराना

मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में पढ़ा गया बजट भाषण (वे राज्य की वित्त मंत्री भी है) सबसे अधिक ध्यानपूर्वक देखा, सुना और समझा गया बजट दस्तावेज है। बजट भाषण में की गई घोषणाएँ बजट से जुड़े ऐसे प्रमुख वायदे हैं, जिन्हें सरकार और मीडिया दोनों ही विशेष रूप से प्रसारित करते हैं

और जन सामान्य इन घोषणाओं को नें काफी रूचि लेते हैं। किन्तु बजट घोषणा के एक अथवा अधिक से अधिक दो सप्ताह में जब बजट में लोगों की रूचि समाप्त हो जाती है तथा उसके बाद बजट भाषण में सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन चर्चा भी नहीं होती।

वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत पिछले दो बजटों में (वर्ष 2014–15 के अन्तरिम बज़ट सहित) की गई महत्त्वपूर्ण घोषणाओं में से कुछ घोषणाओं के बारे में क्या प्रगति है, अथवा क्या स्थिति है, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिये, अन्तरिम बज़ट और उसके पश्चात् प्रस्तुत किये गये संशोधित बजट वर्ष 2014–15 में सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि आगामी पाँच वर्षो में राज्य में 20,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जायेगा, इस घोषणा के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में क्या स्थिति है? अपने सबसे ताजा बजट में सरकार ने पुनः वर्ष 2015– 16 में 10,000 कि.मी. सड़कों का निर्माण करने की घोषणा की है। लोग जानना चाहेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है। इसी प्रकार अन्तरिम बजट 2014–15 यह घोषणा की गई थी कि अगले पाँच वर्षों की अवधि में सरकार 25,000 मेगावाट सौर विद्युत का उत्पादन करने का लक्ष्य रखकर कार्य करेगी किन्तु इस दिशा में क्या प्रगति है इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक सूचना माध्यम से कहीं भी उपलब्ध नहीं है।

बजट 2015–16 में सरकार ने शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ अच्छी घोषणाएं की जैसे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उच्च माध्यमिक स्कूल खोलना, प्रत्येक जिले में एक जिला स्कूल बोर्ड का गठन करना जो कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करेगा और प्रत्येक जिले में शिक्षा की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट जारी करेगा। इसी प्रकार, पिछले वर्ष घोषित किये गये 63 मॉडल स्कूलों को भी अब आगामी तीन वर्षो में स्थापित किया जायेगा जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा आगामी तीन वर्षो में 237.90 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई जायेगी। किन्तु वर्तमान में लोगों के पास यह जानने का कोई ज़रिया नहीं है कि ऐसी सभी घोषणाओं के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है अथवा इस दिशा में क्या प्रगति हुई है।

हलांकि मुख्यमंत्री कार्यालय वैबसाइट cmis.rajasthan.gov.in के माध्यम से बजट घोषणाओं के सम्बन्ध में हो रही प्रगति पर निगाह रखता है, किन्तु यह वैबसाइट आम जनता के लिये खुली नहीं है। इस वेबसाईट को आम लोगों के लिये खोला जाना बजट पारदर्शिता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

जिलेवार बजट सूचना उपलब्ध कराना

सभी लाइन विभागों अर्थात् विभिन्न विकास कार्यक्रमों का संचालन व क्रियान्वयन करने वाले विभागों को जिलेवार राज्य बजट उपलब्ध कराये जाने की बड़ी आवश्यकता है। इससे लोगों को यह जानकारी मिल सकेगी कि विकास सम्बन्धी कार्यो के लिये उनके जिले को कितनी राशि आवंटित की गई है। इस प्रकार जिलेवार बजट आवंटन से नागरिकों द्वारा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी हो सकेगी और इस प्रकार नागरिकों का सशक्तिकरण भी होगा।

पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिये बजट सम्बन्धी सूचनाएँ उपलब्ध कराना

जैसाकि ऊपर कहा गया है, राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटन के विषय में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही है किन्तु वर्तमान में जानकारियाँ केवल प्रत्येक जिला परिषद और प्रत्येक नगर निगम (म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन) के लिये ही उपलब्ध हैं। जबकि एक जिले की सभी पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के लिये ये जानकारियाँ संकलित रूप में उपलब्ध कराई जाती है। यही बात शहरी स्थानीय निकायों पर भी लागू होती है। हालांकि नगर निगम इसके अपवाद है। इस प्रकार ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और शहरी स्थानीय निकायों को उनमें से प्रत्येक के लिए बजट में आवंटित की गई राशियों की अग्रिम सूचना नहीं प्राप्त होती है। इन सूचनाओं को अग्रिम रूप से उपलब्ध कराने से पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, दूसरे शब्दों में उनका सशक्तिकरण होगा और उन्हें अपने क्षेत्र के लिये वास्तविकता आधारित योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

<u>लैंगिक बजट विवरण (जी.बी.एस.) में सुधार लानाः</u>– पिछली सरकार ने वर्ष 2012–13 से लिंग आधारित बज़ट विवरण जारी करना आरम्भ किया था। वर्तमान में बजट फाइनलाईजेशन समितिवार तैयार किये गये विवरणों के आधार पर लिंग आधारित बजट विवरण (स्टेटमेंट) उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिनमें योजना और गैर योजना मदों के अनुसार कार्यक्रमों मदों को A,B,C या D श्रेणीयां दी जाती हैं। लिंग आधारित बज़ट विवरण वर्तमान में जिस रूप में तैयार किया जाता है उससे कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन इस स्टेटमेंट को मात्र विभागवार सूचना उपलबध कराते हुए सुधारा जा सकता है अथवा प्रत्येक विभाग की सभी बी.एफ.सी को एकसाथ प्रस्तुत` हुए इस विवरण में सुधार किया जा सकता है। इससे लिंग आधारित बजट की उपयोगिता बढ़ जायेगी, क्योंकि इसकी सहायता से सम्बन्धित विभाग अपनी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी तथा महिलाओं के लिये विशेष योजनाओं का आंकलन कर सकेंगे। आम व्यक्ति के लिये और विशेषरूप से महिला अधिकार संगठनों के लिये भी यह विवरण अर्थपूर्ण और उपयोगी होगा और उनके द्वारा लिंग आधारित बजट के क्रियान्वयन की निगरानी में भी इससे सहायता मिलेगी।

<u>दिशा निर्देशों के अनुरूप जनजाति उप–योजना और अनुसूचित जाति–उपयोजना हेतु आवंटन</u>

भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में जनजाति उप–योजना और अनुसूचित जाति उप–योजना के लिये निर्धारित (मानदण्डों राज्य में दोनों समुदायों की जनसंख्या के अनुसार) के अनुसार राशियों का आवंटन करने का वाद किया था तथापि दोनों उप–योजनाओं के अन्तर्गत आवंटन और व्यय दोनों के लिए निर्धारित लधु शीर्षो में आंवटन मानकों की दृष्टि से कम ही रहा है। अतः इन दिशा निर्देशों की अवहेलना को रोकने की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि राज्य में जनजाति उप–योजना और अनुसूचित जाति उप–योजना के सही क्रियान्वयन के लिये एक कानून बनाया जाये।

<u>जनता के लिये विभागों/योजनाओं का प्रबन्धन सूचना तंत्र (एमआईएस) को खोला जाना</u>

अनेक विभागों द्वारा अपने–अपने विभाग की योजनाओं के लिये नरेगा जैसा प्रबन्धन सूचना तंत्र (एम आई एस) बनाया गया है। उदाहरण के लिये, राजस्थान सरकार के जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रबन्ध सूचना तंत्र के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे लाभों की स्थिति पर नज़र रखते के लिये इस दिशा में हो रही प्रगति दर्शाई जा रही है। इस वेबसाइट को प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर लाभार्थी महिलाओं और बच्चों (पुरुष एवं महिलाएँ) की संख्या जैसे आँकड़े जनता को उपलब्ध कराने हेतु आंशिक रूप से खोला अथवा सार्वजनिक किया जा सकता है। इसी प्रकार सभी विभागों के अपने MIS जनता के लिये खोलने चाहिये।

<u>जनता के साथ बजट– पूर्व परामर्श</u>

राजस्थान भाजपा ने राज्य बज़ट के लिये सामान्य जनता के सुझाव लेने ऑन–लाइन व्यवस्था तंत्र स्थापित करने का वादा किया था। भाजपा सरकार द्वारा यह प्रक्रिया आरम्भ कर दी है, जिसके लिये उनकी प्रशंसा करनी होगी। सरकार के प्रथम बजट के समय से ही जनता के सुझाव ऑन–लाइन आमंत्रित करना आरम्भ कर दिया था। यद्यपि इसके लिये शब्दों की सीमा तय की गई है और इससे सम्बन्धित साइट भी थोड़ी अवधि के लिये ही खुली रहती है।

राज्य में गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के साथ बज़ट पूर्व चर्चाओं के आयोजन की भी परम्परा है। इस अवसर पर स्वयं मुख्यमंत्री बैठक में उपस्थित लोगों के सुझावों को सुनते हैं। यह परम्परा भाजपा सरकार ने भी जारी रखी है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि बजट पूर्व चर्चा हेतु सरकार द्वारा आमंत्रित किये जाने वाले संगठनों की संख्या अब कम कर दी गई है क्योंकि अनेक संगठन यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें इस बजट पूर्व चर्चाओं में अब आमंत्रित नहीं किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि बजट पूर्व परामर्श बैठकों का आयोजन बहुत देर से किया जाता है– राज्य विधानसभा में बजट प्रस्तुति के कुछ ही सप्ताह पूर्व। अतः बजट पूर्व परामर्श बैठकों का आयोजन पर्याप्त समय पूर्व किया जाना चाहिये– जैसे कि अक्टूबर अथवा नवम्बर माह में जब सरकार के बज़ट बनाने की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है, जिससे कि सरकार के पास इन सुझावों का मूल्यांकन करने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध हो और इनमें से जो सुझाव सरकार को उपयुक्त प्रतीत हो उन्हें बज़ट में शामिल करते हुए उनके लिये आवश्यक राशियों का आवंटन किया जा सके

इस प्रकार वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये दो बजटों को समझ रखते हुये यह कहा जा सकता है कि बजट सम्बन्धी पारदर्शिता की दृष्टि से वर्तमान सरकार का कार्य निष्पादन औसत दर्जे का रहा है। सरकार द्वारा बज़ट को अधिक पारदर्शी बनाये जाने और इसे अधिक सहभागितापूर्ण बनाते हुए बज़ट सम्बन्धी पद्धति और व्यवहार में सुधार लाये जाने की आवश्यकता है।

सुझाव

- प्रतिवर्ष पिछले बजट की घोषणाओं का प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाए, जिसमें सभी बज़ट घोषणाओं की वार्षिक प्रगति की जानकारी हो।
- वार्षिक बजट से पूर्व क्षेत्रिय स्तर पर (संभाग स्तर) पर बजट पूर्व कार्यशालाएं आयोजित की जाए, जिनमें जनप्रतिनिधि, जनसंगठनों को भी शामिल किया जाए।
- सभी विभागों का परफोरमेंस एवं आउटकम बजट बनना सुनिश्चित हो एवं उसे विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।